



प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक 11-07-2024

विषय :- टैक्सफेड समूह की बन्द पड़ी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोग हेतु शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०, कानपुर के पत्र संख्या-22/एसटीसी/लेखा/2024 दिनांक 15.05.2024 तथा प्रबंध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर के पत्र संख्या- 76/एसएमएफ/2024-25 दिनांक 15.05.2024 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०, कानपुर के पत्र दिनांक 15.05.2024 द्वारा निम्नलिखित भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

(रु० लाख में)

क्रम सं०	बैंक का नाम	ऋण की मूल धनराशि	ब्याज 12 प्रतिशत साधारण दर पर (दि० 30.06.2024 तक)	कुल देयता
1.	एआरसीआईएल (मूल बैंक इण्डियन ओवरसीज बैंक)	660.00	1875.00	2535.00

3- अवगत कराना है कि प्रबंध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर के पत्र दिनांक 15.05.2024 द्वारा निम्नलिखित भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

(रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	मूल धनराशि	ब्याज दिनांक 30.06.2024 तक	कुल धनराशि
1.	उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०	2286.00	5691.00	7977.00
2.	4 बाण्ड होल्डर्स की देयताये जिन्होंने उक्त बैठक में सहमति दी है।	264.00	663.00	927.00
3.	बाण्ड होल्डर्स के ब्याज की अतिरिक्त देयता		280.00	280.00
	योग:	2550.00	6634.00	9184.00

4- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 में लेखाशीर्ष- "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09-उ.प्र. सहकारी कताई मिल संघ लि. /उ.प्र. स्टेट यार्न क.लि./उ.प्र. स्टेट स्पिनिंग कं.लि./उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लि. की मिलों के शासकीय देनदारियों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि का भुगतान-42-अन्य व्यय" में ₹0 38214.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

5- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टैक्सफेड समूह की बन्द पड़ी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोग के लिये देनदारियों के निस्तारण हेतु शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि का ब्याज सहित भुगतान किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या- 526/77-1-2024, दिनांक 27.06.2024 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि के अनुसार उपरोक्त प्रस्तर-2 व 3 में वर्णित उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम एवं उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की अशासकीय देयताओं (₹0 2535.00 लाख + ₹0 9184.00 लाख) = ₹0 11719.00 लाख का भुगतान निम्नवत शर्तों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत की जा रही उपरोक्त धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0 तथा उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।
- (4) कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2025 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को भेजी जाए।
- (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोषक द्वारा रखा जायेगा और मानीटरिंग भी करेंगे।
- (7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (8) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
- (9) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ0प्र0 कानपुर धनराशि से संबंधित ऑकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
- (10) प्रकरण में राजस्व सम्बन्धी नियमों-अधिनियमों में दी गयी व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास विभाग के सुसंगत नियमों तथा विधि व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (11) टैक्सफेड समूह की बन्द पड़ी कताई मिलों में प्राधिकरण/नजूल/इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की निहित भूमि को छोड़ कर अन्य भूमि औद्योगिक प्रयोग के लिए प्रयुक्त की जायेगी।
- (12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Negotiation के क्रम में भुगतान से पूर्व बैंकों तथा बाण्ड होल्डर्स संस्थाओं/कम्पनियों के सक्षम स्तर से अनुमोदित/स्वीकृत सहमति पत्र प्राप्त हो गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(13) प्रश्नगत अशासकीय देयताओं सम्बन्धी अन्तिमीकृत धनराशि के सम्बन्ध में Book of Accounts/financial Statements आदि के माध्यम से संतुष्ट होते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि इस सम्बन्ध में due diligence कर लिया गया है।

(14) अशासकीय देयताओं के सम्बन्ध में विभिन्न stakeholders को किये जाने वाले भुगतान के पूर्व यदि प्रकरण न्यायालय/ट्रिब्यूनल आदि में है तो सम्बन्धित द्वारा वापस ले लिया जाये तथा जो सम्पत्ति liquidation में है उसे प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

(15) यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्तानुसार की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां संगत अधिनियम/नियम/विनियम/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा इनमें कोई विधिक अड़चन नहीं है।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹ 11719.00 लाख (रूपया एक अरब सत्रह करोड़ उन्नीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000942 के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-6-49-X-2024-25, दिनांक 10.07.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या-20(1)/2024/329/77-1-2024(1699260), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०/उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर।
- 3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
- 4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ०प्र०, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।
- 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०/उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- 6- वित्त अधिकारी, उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०/उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर।
- 7- नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ०प्र० शासन।
- 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव।
उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।